

रिपोर्ट पटवारी... नारायणखेड व भू.अ. निरीक्षक... तहसील रायपुर

महोदय जी निवेदन है कि ग्राम तेज्याखेडी के खता नं. 46, 47, 48

में खातेदार सोहनी पत्नी टीला सा. नारायणखेड के बजाय

सोहनी पत्नी टीला सा. पेह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट ठीमान जी की सेवा में पेश है।



Handwritten signature and name: P. Naraayankhed

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार रायपुर

स्विफ्ट पटवारी हल्का नं. 14, निरीक्षक के अनुसार ग्राम तेज्याखेडी के खता नं. 46, 47, 48 के खातेदार सोहनी पत्नी टीला सा. नारायणखेड के बजाय सोहनी पत्नी टीला सा. पेह दर्ज किया जाना उचित है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर आदेश जिला भीलवाड़ा दि. 14.10.2021

कमोड प्रजा सं/2021 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नं. 14 अतिरिक्त निरीक्षक व तहसीलदार व सलून हस्ताक्षर के अनुसार ग्राम तेज्याखेडी के खता नं. 46, 47, 48 खातेदार सोहनी पत्नी टीला सा. नारायणखेड के बजाय सोहनी पत्नी टीला सा. पेह दर्ज किया जावे, तदनुसार बाबत रिकार्ड में किया जावे।



Handwritten signature and name: उपखण्ड अधिकारी रायपुर

## FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

सोहनी पत्नि टीला भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर

प्रार्थी


बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

मु0नं0 24 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
दिनांक- 14-10-2021	<p>प्रार्थीया सोहनी पत्नि टीला भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073-2076 में शामिल खता संख्या 46, 47, 48 में क्रमशः किता 10 रकबा 1.75 है0, किता 8 रकबा 2.16 है0, किता 2 रकबा 0.32 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थीया सोहनी पत्नि टीला भील सा. नारायणखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया के ग्राम का नाम तेज्याखेड़ी के बजाय नारायणखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम तेज्याखेड़ी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खता संख्या 46, 47, 48 में खातेदार सोहनी पत्नि टीला भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय सोहनी पत्नि टीला भील सा. तेज्याखेड़ी दुरुस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरुस्ती करने की अभिशंका की गई।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार सोहनी पत्नि टीला भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय सोहनी पत्नि टीला भील सा. तेज्याखेड़ी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">   14.10.2021  (सुन्दर लाल बम्बोडा)  उपखण्ड अधिकारी रायपुर  भीलवाड़ा </p>